

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत अलेई

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/10/15

अनुवान-

लिखमन बनाम नारायण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.



07.06.2018:-आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे दिनांक 13.02.2015 को एकतरफा वकील प्रार्थी सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 415/0.03, 422/0.03, 430/0.15, 460/0.14, 480/0.35, 497/0.10, 1312/0.25, वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ की प्रार्थी के हिस्से तक मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.04.2015 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत जारी की गई है, तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी बाबत आज दिनांक तक रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर पालना नही की गई है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल अस्वीकार योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आराजी हाल खसरा नं0 415/0.03, 422/0.03, 430/0.15, 460/0.14, 480/0.35, 497/0.10, 1312/0.25, वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 13.02.2015 का प्रचलन निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंगन मूल वाद हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट- ग्राम पंचायत अलेई